

Jyoti B.Ed College
Fazilka

Subject :- Gender, School
And Society

Topic :- Schooling of Girls :
Issues of Access

Roll No :- 320

Submitted To :- Mrs. Sundina
Mam

Submitted by :- Monika

* Schooling of girls : Issues of access.

बालिका शिक्षा के मुद्दे (Issues of girl education):-

वर्तमान युग में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या पहले कहीं अधिक है। परन्तु इस प्रगति के बाद भी महिलाओं तथा लड़कियों को लिंगभेद तथा इससे संबंधित आयु, नस्ल, गरीबी तथा विवशता जैसे: अन्य कारकों पर आधारित बहुपक्षीय बाधाओं का सामना निरंतरता करना पड़ता है। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित कई मुद्दे हैं जैसे: - स्कूलों में लड़कियों को दाखिला देने का मुद्दा, उन्हें स्कूली पढ़ाई पूर्ण होने तक स्कूल में रोकने का मुद्दा, स्कूलों से हटाने का मुद्दा आदि। लड़की शिक्षा से संबंधित इन मुद्दों को समझने के लिए इन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है।

* शिक्षा तक पहुँच (Access to education): => शिक्षा की धारणा में 'पहुँच' शब्द का विशेष संबंध उस ढंग या साधनों के साथ है जिनकी सहायता से शिक्षण संस्थारों तथा नीतियाँ यह सुनिश्चित करती हैं या सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती हैं कि सभी विद्यार्थियों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा का पूर्ण लाभ उठाने के लिए समान तथा न्याय संगत अवसर प्राप्त हो सकें।

इस पहुँच में वृद्धि करने के लिए स्कूलों में अधिक सुविधाओं का प्रबंध करना पड़ता है या किसी कार्य विशेष या अकार्यक्षम

प्रोग्रामों में कुछ विद्यार्थियों के मार्ग में बाधक बनने वाली वास्तविक या संभावित बाधाओं को दूर करना पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों संबंधित समुदाय के प्रभावों या स्कूली सुविधाओं के साथ-2 नस्ल, लिंगभेद, धर्म, लैंगिक रूचियों, विवशताओं शिक्षा का विशेष दर्जा, पारिवारिक आमदनी या शिक्षा-प्राप्ति के स्तरों जैसे कारक सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा शैक्षिक अवसरों प्राप्त कुछ विशेष विद्यार्थियों की पहुँच को सीमित कर सकते हैं।

* शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच (Access to education for girls) :->

शिक्षा सार्वभौमिक / मौलिक अधिकार है। विश्व के अनेक देशों में प्राथमिक स्कूलों में दाखिल न होने वालों में आधे से ज्यादा / अधिक लड़कियाँ हैं, जिस कारण स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफी कम है।

प्रत्येक लड़की को सुरक्षित, औपचारिक, गुणात्मक शिक्षा का अधिकार तथा जीवन व्यापी (life-long) अधिगम प्राप्त पहुँच अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा में लिंग-भेदीय असमानता के परिणामस्वरूप बच्चों को ऐसे कौशलों के विकास के अवसर नहीं दिए जाते जिससे उन्हें अपने घरों, व्यवसायों, समुदायों तथा देशों की सत्ता अपने हाथों में लेने की शक्ति प्राप्त हो सके।

बच्चों की शिक्षा उन्हें अपने जीवन का सुधार करने संबंधी निर्णय लेने की सैसी स्वतंत्रता प्रदान करती है जिससे गहन सामाजिक उद्देश्य जुड़ हुए हैं। विश्व बैंक (World Bank) अनुसार स्कूलों की लड़कियों की पहुँच में लाना विश्वस्तरीय निर्धनता को समाप्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है।

विश्व बैंक की धारणा है कि अधिकांश शिक्षित स्त्रियाँ स्वस्थ होती हैं, व्यावसायिक क्षेत्रों में औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से सहयोग देती हैं तथा परिवार नियोजन को बल देती हैं।

* शिक्षा प्राप्त लड़कियों की पहुँच के लिए चुनौतियाँ (Challenges for Girls, Access to Education) :->

1. शिक्षा की लागत (The cost of education) :-> इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समुदाय, माता-पिता तथा बच्चे कम खर्चीली अर्थात् सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकें।

2. स्कूलों का निम्न स्तरीय वातावरण (Poor School Environment) :-> स्कूलों का वातावरण को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए।

3. सामाजिक अपवर्जन/वंचित (Social exclusion) :-> लड़कियों को जाति, नस्ल, धर्म या अयोग्यता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

4. विवाद (Conflicts) :-> किसी विवाद के कारण स्कूलों से दूर किए गए बच्चों को शिक्षा प्राप्त पहुँच प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5. समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति (The weak position of women in society) :-> समाज में माता-पिता को लड़की शिक्षा के मूल्यों से अवगत करवाना चाहिए।

* लड़कियों को शैक्षिक पहुँच से वंचित रखने वाले कारण (Causes of depriving girls from educational access) :->

1. निर्धनता (Poverty) :-> गरीब परिवार लड़की-शिक्षा पर व्यय करने की अपेक्षा अन्य घरेलू खर्चों को महत्व देते हैं।

2. लिंगभेद आधारित हिंसा (Gender-based violence) :-> स्कूल जाने वाली लड़कियों को यौन हिंसा व शोषण का शिकार बनाया जाता है। इस प्रकार के हिंसा तथा शोषण में स्कूल स्टाफ व अध्यापकों की सहभागिता होती है।

3. बाल-विवाह (Child Marriage) :-> एक रिपोर्ट अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व में विशेषतः भारतीय समाज में लड़कियों के बाल-विवाह किए जाते हैं।

4. कम आयु में गर्भधारण (Early Pregnancy) :-> जो लड़कियाँ कम आयु में गर्भधारण करती हैं, उनकी स्कूलों में वापसी की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

5. लिंग-भेदीय रुढ़ियाँ तथा लैंगिक व्यवहार :-> (Gender stereotypes and Gendered Attitudes):-> पारंपरिक धारणाओं तथा लिंगभेदीय भूमिकाओं के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा की भाँति प्रासंगिक तथा मूल्यवान नहीं होती।

6. स्त्री शिक्षिकाओं की कमी (lack of female teachers):-> स्कूल में स्त्री शिक्षिका की नियुक्ति न होने पर कुछ माता-पिता मासिक धर्म शुरू होने के पश्चात् अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते या स्कूल से उन्हें हटा लेते हैं।

7. सफाई सुविधाओं (Sanitary facilities):-> अनेकों लड़कियाँ मासिक धर्म की आयु से पहले या बाद में स्कूलों में स्वच्छता की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं।

8. सुविधाओं की कमी (lack of facilities):-> लड़कियों को शैक्षिक पहुँच से दूर या वंचित रखने वाले कुछ अन्य कारण जैसे समावेशी तथा गुणात्मक वातावरण की कमी, स्वच्छता की सुविधा अचित व सुरक्षित व्यवस्था वाली शैक्षिक सुविधाओं की कमी।

* शिक्षा प्राप्त लड़कियों को पहुँच में सुधार की विधियाँ (How to improve girls access to education):→

1. माता-पिता तथा समुदाय की भागीदारी (Parental and Community Involvement):→ स्कूल पाठ्यक्रम के निर्माण तथा बाल शिक्षा के प्रबंधन में परिवारों तथा समुदायों को स्कूल के महत्वपूर्ण भागीदार बनाना चाहिए।

2. घर के नजदीक, स्त्री शिक्षकों वाले स्कूल (Schools close to Home with women teachers):→ अनेकों माता-पिता का मानना है कि लड़कियों को दूर-दूर तक के क्षेत्रों में पढ़ने के लिए भोजना उचित नहीं होता। अनेकों माता-पिता अपनी लड़कियों को स्त्री अध्यापिका से पढ़ाना पसंद करते हैं।

3. सस्ता शिक्षा (low-cost education):→ मौलिक शिक्षा निःशुल्क या कम खर्चीली होनी चाहिए। लड़कियाँ जब स्कूल जाती हैं तो परिवार घरेलू कार्यों का बोझ भी बढ़ जाता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता करें।

4. लचकशील समय-सारणी (Flexible time-table):→ स्कूलों समय-सारणी लचकदार होनी चाहिए ताकि बच्चे घरेलू कार्यों में अपने माता-पिता की सहायता कर सकें तथा पढ़ाई भी जारी रख सकें।

5. अनुरूप पाठ्यक्रम (Relevant curricula) :- अधिकारम
सामग्री लड़कियों के परिप्रेक्ष्य अनुसार प्रासंगिक तथा
स्थानीय भाषा में होना चाहिए।
6. लिंग-भेदीय रूढ़ियों से परहेज (Avoid Gender Stereotypes) :-
लड़कियों को लिंगभेदीय रूढ़ियों से परहेज करना सीखना चाहिए।
7. स्कूल शिक्षा के लिए तैयारी (Preparation for School Education) :-
यदि बचपन से ही लड़कियों की देखभाल
सही प्रकार से की जाए तो उनकी योग्यता में वृद्धि होती
है जिससे उनमें आत्म-सम्मान उत्पन्न होता है तथा स्कूल
जाने का उत्साह बढ़ता है।
8. स्कूल को सभी लड़कियों के लिए कार्यत्मक बनाना (Making Schools work for all girls) :-
लड़की-शिक्षा के लिए
सफल योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को सही मान
व अनुभवी स्टाफ की नियुक्ति स्कूलों में करनी चाहिए।
स्टाफ को चाहिए कि वह किसी परिप्रेक्ष्य के लड़कियों के
लिए शिक्षा प्राप्त पहुँच को सुनिश्चित करे। अध्यापकों तथा
शिक्षा-अधिकारियों को लड़कियों के लिए समान शैक्षिक अवसर
सुनिश्चित करने वाली नीति तथा पाठ्यक्रम तैयार करने
चाहिए।

9. उचित अधिगम वातावरण (Better learning Environment) :->

स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय, लिंगभेदी संवृद्धनात्मक पाठ्यक्रम की सुविधा उत्पन्न कर अन्य व्यापक सुविधाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि उचित अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके।

10. स्कूल में सुरक्षा प्रबंध (Providing Safety in School) :->

स्कूलों को हिंसा, बौध्ण तथा गुंडागर्दी से मुक्त कर स्कूल जैसे अधिगमित वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित महसूस कर सकें।

11. वित्तीय सहायता (Financial help) :->

लड़कियों को सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता, स्वतंत्रता तथा आय के कुछ स्रोत प्रदान करने चाहिए। व्यावसायिक कार्यक्रमों तथा कन्या-छात्रवृत्तियों का संबंध भी किया जाना चाहिए।

12. जागरूकता (Awareness) :->

लड़कों तथा पुरुषों को लड़कियों व स्त्रियों के पक्ष में प्रगतिशील कार्यों में शामिल करके उन्हें लैंगिक समानता वारे जागरूक करना चाहिए।

* निष्कर्ष :->

सर्वोत्तम विकासात्मक निवेशों में से एक निवेश लड़कियों की शिक्षा है जो अनेक क्षेत्रों में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे हमारी भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य तथा समृद्धि में वृद्धि होती है तथा गरीबी घटाने तथा जनसंख्या वृद्धि को गति को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लड़कियों को लड़कों के समान शैक्षिक अवसरों प्राप्त संपूर्ण तथा निःशुल्क पहुँच उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।